



दिनांक 28.10.2020

प्रेस विज्ञप्ति-28/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के संबंध में सुरक्षा प्रबन्ध के दिये निर्देश

श्री एच०सी० अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, कमिश्नरेट लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को दिनांक: 31.10.2020 को महर्षि बाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर कोविड-19 के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार व उ०प्र० शासन द्वारा जारी एसओपी/गाइड लाइन में निहित निर्देशों के अनुरूप पर्व को मनाये जाने हेतु जनमानस को जागरूक किये जाने तथा उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक: 09.10.2020 को व मुख्यालय स्तर से दिनांक: 10.10.2020 को आगामी त्यौहारों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुये उक्त के क्रम में निम्न निर्देश दिये गये :-

- थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी को यह स्पष्ट निर्देश दिये जाय कि छोटी-छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करें एवं विवाद को समाप्त करने हेतु कड़े एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाय।
- पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर सभ्रान्त नागरिकों, शान्ति समितियों, नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों आदि का सक्रिय सहयोग लिया जाय।
- सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे ट्विटर/व्हाट्सएप/फेसबुक/इंस्टाग्राम आदि विभिन्न प्लेटफार्मों पर सर्तक दृष्टि रखी जाय। आपत्तिजनक पोस्ट/अफवाहों का तत्काल सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाय तथा अफवाहों का खण्डन किया जाय।

- वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से जनमानस को मास्क धारण करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु निरन्तर जागरूक किया जाय।

महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए समुचित सुरक्षा/पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से दिनांक 17.10.2020 से चलाये जा रहे विशेष अभियान “मिशन शक्ति” के अन्तर्गत प्रदेश में एन्टी रोमियो स्कवायड द्वारा दिनांक 25.10.2020 तक कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :-

| | | |
|----|---|----------|
| 1 | एन्टी रोमियों स्कवायड की संख्या | 1,574 |
| 2 | चेक किये गये सार्वजनिक स्थलों जैसे- चौराहों, मार्केट, पार्क, विद्यालय आदि की संख्या | 59,277 |
| 3 | चेक किये गये कुल व्यक्तियों की संख्या | 2,33,880 |
| 4 | धारा 107/116 द0प्र0सं0 में की गयी कार्यवाही संख्या | 9,166 |
| 5 | धारा 151द0प्र0सं0 में की गयी कार्यवाही की संख्या | 4,653 |
| 6 | धारा 294 भादवि में पंजीकृत अभियोगों की संख्या | 492 |
| 7 | गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही की संख्या | 1524 |
| 8 | धारा 110 जी द0प्र0सं0 में की गई कार्यवाही की संख्या | 3,178 |
| 9 | अन्य कार्यवाही की संख्या | 23,078 |
| 10 | भरे गये शपथ पत्रों की कुल संख्या | 36,595 |

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस
 - 01 कार व 09 पेटी अवैध शराब बरामद

दिनांक 28.10.2020 को थाना कोतवाली बागपत व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नैथला मोड़ के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुशील उर्फ सन्नी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस, 01 कार व 09 पेटी अवैध शराब बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 370/2020 धारा 63/72 आबकारी अधि0 में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुशील उर्फ सन्नी नि0 लहराड़ा थाना सदर जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

2—01 कार व 09 पेटी अवैध शराब।

जनपद अमेठी/थाना संग्रामपुर

- 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 28.10.2020 को थाना संग्रामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किठावर बार्डर पूरे मुहीबशाह के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी आशीष कुमार उर्फ

राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना संग्रामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशीष कुमार उर्फ राजू नि0 गूंगेमऊ थाना जगदीशपुर अमेठी।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना सिधौली

- 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी

गिरफ्तार

दिनांक 28.10.2020 को थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महमूदाबाद चौराहा, सिधौली से पुरस्कार घोषित अपराधी रिकू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिधौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 299/2020 धारा 2/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सिधौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिकू निवासी मोहल्ला गाँधीनगर कस्बा व थाना सिधौली,सीतापुर हालपता—कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली ,सीतापुर।

जनपद मैनपुरी/थाना दन्नाहार

- 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी
गिरफ्तार

दिनांक 28.10.2020 को थाना दन्नाहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करहल चौराहे से पुरस्कार घोषित अपराधी विनोद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दन्नाहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-212/2020 धारा 302/120बी /216 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना दन्नाहार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-विनोद निवासी किशनपुर थाना ऐरवा कटरा जनपद औरैया।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर /थाना दादरी

- लूट की घटना का अनावरण,
- पुलिस कार्यवाही में 02 अपराधी गिरफ्तार,
- लूटी की मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचे मय जीवित व खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 27.10.2020 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दादरी पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1-नाजिम 2-शाकिर घायल हो गये ,जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गयी मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित व खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है,जो हाईवे पर लूटपाट की घटना कारित करते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर एवं गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद मोटर साइकिल मु0अ0सं0-730/2020 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नाजिम निवासी बीसा कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ।

2—शाकिर निवासी बीसा कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी

1— लूटी गयी मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल ।

2— 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित व खोखा कारतूस ।

जनपद बिजनौर/थाना नूरपुर

- 15—15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित 02 अपराधी
गिरफ्तार

दिनांक 28.10.2020 को थाना नूरपुर एवं काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहतौर चौराहे से पुरस्कार घोषित 02 अपराधी, 1—प्रीतम, 2—सुमित को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चाँदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 543/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था ।

इस संबंध में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रीतम निवासी दतियाना थाना चाँदपुर, जनपद बिजनौर ।

2—सुमित निवासी ग्राम दतियाना थाना चाँदपुर, जनपद बिजनौर ।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर

- 02 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 13 मोटर साइकिल,
• 02 अवैध तमंचा मय 05 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 27/28.10.2020 की रात्रि थाना अनूपशहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुखैना नहर पुल से 02 वाहन चोर 1—रोहन उर्फ रिंकू, 2—शकील को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर

साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, व 3 जीवित कारतूस व 01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद हुये ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद बुलन्दशहर, व उत्तराखण्ड प्रांत के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना अनूपशहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रोहन उर्फ रिंकू निवासी नंगलाकलां खैर बाईपास रोड़ गणेशनगर थाना बन्नादेवी, जनपद अलीगढ़।

2-शकील निवासी सुनान थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1-कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर साइकिल

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर, व 3 जीवित कारतूस व 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस

जनपद मुरादाबाद/थाना डिलारी

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 04 अपराधी गिरफ्तार
- 23 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे विभिन्न बोर, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 28.10.2020 को थाना डिलारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नाखूनका से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अपराधी 1-मुकेश कुमार, 2-प्रशान्त, 3-जयपाल, 4-राजाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 23 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना डिलारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- मुकेश कुमार निवासी ग्राम नाखूनका थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

2-प्रशान्त निवासी ग्राम नाखूनका थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

3-जयपाल निवासी ग्राम नाखूनका थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

4-राजाराम निवासी ग्राम नाखूनका थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1-23 निर्मित/अर्द्धनिर्मित, अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस

2-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

- एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर करोड़ों रूपी की धोखाधड़ी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- 96 रीराइटेबल एटीएम कार्ड, 02 कार्ड क्लोनिंग माडयूल, 02 लैपटाप, 07 मोबाइल फोन, 02 पिनहोल कैमरा, 03 पिनहोल कैमरा बैटरी, 01 डेटाकार्ड, 02 पेनड्राइव, 01 मेमोरी कार्ड, 17 सीट डेबिट कार्ड का डाटा, इलेक्ट्रानिक उपकरण व 10,000 रूपी नगद बरामद

दिनांक 28.10.2020 गौतमबुद्धनगर साईबर काइम टीम द्वारा सूचना के आधार पर कासा ग्रान्ड सोसाइटी सेक्टर आई-5 ग्रेटर नोएडा के पास से 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 96 रीराइटेबल एटीएम कार्ड, 02 कार्ड क्लोनिंग माडयूल, 02 लैपटाप, 07 मोबाइल फोन, 02 पिनहोल कैमरा, 03 पिनहोल कैमरा बैटरी, 01 डेटाकार्ड, 02 पेनड्राइव, 01 मेमोरी कार्ड, 17 सीट डेबिट कार्ड का डाटा, इलेक्ट्रानिक उपकरण व 10,000 रूपी नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो एटीएम कार्ड क्लोनिंग कर एटीएम से अवैध रूप से पैसे निकाल लेते है। उक्त के संबंध में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर 13 अभियोग पंजीकृत है। इस संबंध में गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ओमोन बेन्सन ओगबीडे निवासी लागोस नाईजीरिया। हालपता—फ्लैट नं0 ए-502 स्टैलर माई सिटी होम्स ओमीक्रोन-3 थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

2—जोनसन उसरो निवासी केन्या। हालपता फ्लैट नं0 ए-1205 कासा ग्रान्ड सेक्टर आई-5 ग्रेटर नोएडा।

बरामदगी

1—96 रीराइटेबल एटीएम कार्ड, 02 कार्ड क्लोनिंग माडयूल, 02 लैपटाप, 07 मोबाइल फोन, 02 पिनहोल कैमरा, 03 पिनहोल कैमरा बैटरी, 01 डेटाकार्ड, 02 पेनड्राइव, 01 मेमोरी कार्ड, 17 सीट डेबिट कार्ड का डाटा, इलेक्ट्रानिक उपकरण व 10,000 रूपी नगद।

जनपद श्रावस्ती/थाना सिरसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 पाक्सो प्रथम श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त महेश को आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।